

श्रीमानजी,  
 न्यायालय की सम्भावना रहती है। अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बावत  
 नजारात अनुभाग से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्राचार करें।  
 निरीक्षण के दौरान लिपिक द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय उच्च  
 न्यायालय द्वारा जो भी विवरण समय समय पर मंगा जाता है, उसे अविलम्ब प्रेषित  
 किया जाता है। इसके अतिरिक्त मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण  
 को समय से तैयार करके भेज दिया जाता है। लिपिक को निर्देशित किया जाता है  
 कि विवरण को तैयार करने एवं उन्हें भेजवाने में कोई त्रुटि न करे।  
 कार्यालय के निरीक्षण के समय क्लर्कालय में मेज व कुर्सी की पर्याप्त व्यवस्था  
 है तथा कार्यालय कक्ष साफ सुथरा पाया गया व प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं  
 पाई गयी, जिसके सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकाश के  
 सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी नजारात अनुभाग से पत्राचार किया जाना सुनिश्चित करें।  
 निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे माननीय  
 उच्च न्यायालय व श्रीमान जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित  
 परिधान में आना सुनिश्चित करें।

छत से दीवार के सहारे आता है, जिससे पत्रावलिर्गों व रजिस्टर के क्षतिग्रस्त होने  
 की सम्भावना रहती है। अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बावत  
 नजारात अनुभाग से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्राचार करें।  
 निरीक्षण के दौरान लिपिक द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय उच्च  
 न्यायालय द्वारा जो भी विवरण समय समय पर मंगा जाता है, उसे अविलम्ब प्रेषित  
 किया जाता है। इसके अतिरिक्त मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण  
 को समय से तैयार करके भेज दिया जाता है। लिपिक को निर्देशित किया जाता है  
 कि विवरण को तैयार करने एवं उन्हें भेजवाने में कोई त्रुटि न करे।  
 कार्यालय के निरीक्षण के समय क्लर्कालय में मेज व कुर्सी की पर्याप्त व्यवस्था  
 है तथा कार्यालय कक्ष साफ सुथरा पाया गया व प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं  
 पाई गयी, जिसके सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकाश के  
 सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी नजारात अनुभाग से पत्राचार किया जाना सुनिश्चित करें।  
 निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे माननीय  
 उच्च न्यायालय व श्रीमान जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित  
 परिधान में आना सुनिश्चित करें।

दिनांक:- 29.09.2020

*(रनवीर सिंह)*  
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।  
 कक्ष सं0-5, गोण्डा।

निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन करके निरीक्षण  
 टिप्पणी अनुपालन आख्या के साथ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में  
 अवलोकनार्थ प्रेषित की जाए।

दिनांक:- 29.09.2020

*(रनवीर सिंह)*  
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कक्ष सं0-5, गोण्डा।

प्रमाणित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या में उदाई गयी आपत्तियों का  
 निराकरण सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा भौतिक एवं वास्तविक रूप से कर लिया गया  
 है एवं किया जा रहा है।

दिनांक:-02.11.2020

*(जितेन्द्र गुप्ता)*  
 प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कक्ष सं0-5, गोण्डा।

अचलमोक्ति !  
 90/-  
 जितेन्द्र गुप्ता  
 03-11-2020



प्रारम्भिक तिथि 03.08.2018 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में अभी तक कोई भी इजाजत चाद की पत्रावली दर्ज होना नहीं पाया जाता है। इसके पूर्व यह न्यायालय रिक्त चल रही थी।

#### 15- जमानत पंजिका प्रपत्र सं०-12ए अध्याय 17 नियम 164 एवं 168

यह पंजिका जमानत से सम्बन्धित पंजिका है, जो दिनांक 03.08.2018 से प्रारम्भ है। पंजिका में लेवल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 28.09.2020 की है, जिसमें जमानत प्राथनापत्र सं०-1276/2020 जयराम वर्मा आदि बनाम उ०प्र०राज्य अ०सं०-399/20 धारा-3/5/25 आयु०अधि० थाना कोतवाली देहात गोण्डा अंकित है। पंजिका में पेशानी स्तम्भानुसार की गयी है।

#### 16- खर्चा खुराक पंजिका संख्या-18

यह पंजिका खर्चा खुराक से सम्बन्धित पंजिका है, जो दिनांक 03.08.2018 से अनुरक्षित की गयी है, जिसमें लेवल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका में अभी तक कोई खर्चा खुराक से सम्बन्धित कोई अंकना नहीं पाया जाता है।

#### 17- पंजिकाओं का पंजिका

यह पंजिका दिनांक 03.08.2018 से अनुरक्षित की गयी है। पंजिका में लेवल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। इस पंजिका में न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित समस्त पंजिकाओं का विद्यमानानुसार अंकित किया जाता है।

#### 18- जमानतदारान पंजिका

यह पंजिका जमानतदारान से सम्बन्धित पंजिका है, जो दिनांक 26.05.2018 से प्रारम्भ की गयी है। पंजिका में लेवल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि 31.07.2019 सरकार बनाम गोनू सुल्ला अ०सं० 21/2019 धारा 307,401,411 न०अ०सं० थाना धानपुर जिला गोण्डा से सम्बन्धित है। पंजिका काफी जीर्ण शीर्षक अवस्था में है। अतः सत्र लिखित को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका का रख रखाव व उसको ठीक कराकर सुचारु रूप से करना सुनिश्चित करें।

#### 19- एम०आर०ए०पंजिका

यह पंजिका सादे कागज पर लाईन खींचकर बनायी गयी है, जिसपर लेवल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका में पंजिका तिथि से अन्तिम प्रविष्टि तक निल की अंकना पायी जाती है।

#### 20- आकस्मिक अवकाश पंजिका

यह पंजिका कर्मचारियों से सम्बन्धित पंजिका है, जिसमें मुंसरिम रीडर द्वारा कर्मचारियों द्वारा लिये गये आकस्मिक अवकाश की अंकना की जाती है। पंजिका मेरे समक्ष मुंसरिम रीडर द्वारा प्रस्तुत की जाती है। पंजिका दिनांक 17.07.2015 से अनुरक्षित है। पंजिका में लेवल लगा पाया गया।

मौमानजी,  
न्यायालय के कार्यालय का  
से अंकना करने-सुनिश्चित  
किया गया है।  
जारी है।  
(अंक लिपिक)  
ASJ/ADJ/...

### 21-पंजिका नं०-05 प्रपत्र सं०-xiii नियम 130 व 132

यह पंजिका माननीय उच्च न्यायालय से मांगपत्रों से सम्बन्धित पंजिका है, पंजिका में लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका में माननीय उच्च न्यायालय से जो भी मांगपत्र आते हैं, इस रजिस्टर में पत्रावलियों का पूर्ण विवरण मय अभियुक्तगण के नाम पते आदि दर्ज किये जाते हैं तथा शीघ्रताशीघ्र माननीय उच्च न्यायालय से पत्राचार किया जाता है। इस पंजिका को देखने से पता चला कि पंजिका काफी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। पत्रावली की पेशानी फटी हुई है और दूसरे पन्ने पर चिपकी हुई है। इस पंजिका के सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका को नियमानुसार एव स्तम्भानुसार दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करे।

### 22-सम्मन व जमानतदार नोटिसों की पंजिका

यह पंजिका सादे कागज पर साईन खींचकर बनायी गयी है, जो दिनोंक 03.08.2018 से अनुरक्षित किया गया है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका में अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी नोटिस/सम्मन की तामीला हेतु नज़रत अनुभाग व थाना सम्बन्धित के दायरेकारों को प्राप्त कराया जाता है, जिसकी अन्तिम प्रविष्टि दिनोंक 28.09.2020 कि०रि०जीन 136/19 महाराजदीन प्रति छेदी प्रसाद अंकित है और दिनोंक 06.10.2020 की तिथि नियत की गयी है। इसके बाद से न्यायालय रिक्त चल रही थी।

### 23-रजिस्टर नं० 46 फौजदारी वादों में निर्णीत पंजिका

यह पंजिका फौजदारी वादों के निस्तारण व खतीनी की पंजिका है। पंजिका दिनोंक 03.12.2018 से अनुरक्षित की गयी है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि जमानत प्रार्थनापत्र सं०-1940/19 अ०स०-74/08 धारा-147,148,149,302 भा०ध०स० थाना कटरा बाजार जनपद गण्डा भगवान प्रसाद उर्फ भगवाने प्रति राज्य बल न दिये जाने के कारण पूर्व में निरस्त कर दिया है। इसके बाद से न्यायालय रिक्त चल रही थी।

### 24-रजिस्टर नं० 67 सिविल वादों में निर्णीत पंजिका

यह पंजिका सिविल वादों के निस्तारण व खतीनी की पंजिका है। पंजिका दिनोंक 03.08.2018 से अनुरक्षित की गयी है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि सिविल रिवीजन सं०-142/09 रामसुन्दर प्रति रामसूरत निर्णीत दिनोंक 04.11.2019 अंकित है, जिसमें सिविल रिवीजन निरस्त की गयी है। इसके बाद से न्यायालय रिक्त चल रही थी।

### 25-रजिस्टर नं०-70 मु०भा०गैर पंजिका

यह पंजिका मु०भा० गैर से सम्बन्धित है। पंजिका 03.08.2018 से प्रारम्भ की गयी है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनोंक 20.12.2018 की है, जिसमें सिविल सं०-59/2018 सीता बनाम जातजायदाद अंकित है। पंजिका में पेशानी स्तम्भ की गयी है। इसके बाद से न्यायालय रिक्त चल रही थी।



### 26-वारंट पंजिका परिपत्र सं0-6/12 एडमिन जी-11 इलाहाबाद

यह पंजिका वारंट पंजिका से सम्बन्धित है। पंजिका 01.02.2016 से प्रारम्भ है। पंजिका में वेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरमा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 04.11.2019 की है, जिसमें फिनिगल अफील सं0-45/2013 शिवकुमार के विरुद्ध नैरजमान्तीय अधिपत्र पूर्व में जारी किया गया है, जिसे सम्बन्धित धाने के पैरोकार को प्राप्त कराया जाना अंकित है। इसके बाद से न्यायालय रिक्त चल रही थी।

### 27-जमानत प्रार्थनापत्र Anticipatory Bail पंजिका

यह पंजिका Anticipatory Bail पंजिका से सम्बन्धित है। पंजिका में लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरमा किया गया है। पंजिका की प्रारम्भिक और अन्तिम प्रविष्टि 26.08.2019 जमानत प्रार्थनापत्र सं0-38/19 शम्शेर अली बनाम उ00प्र0राज्य है। वर्तमान में न्यायालय 07.08.2020 से कार्यरत है, तब से उक्त प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित ऐसी कोई जमानत इस न्यायालय में प्राप्त नहीं करायी गयी है। इसके पूर्व से न्यायालय रिक्त चल रही थी।

### 28-रिहाई प्रेषण पंजिका

यह पंजिका जिला कारागार रिहाई प्रेषण से सम्बन्धित पंजिका है। पंजिका में लेविल व हेडिंग चरमा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 19.09.2020 अ0सं0-123/2020 राज्य प्रति लक्ष्मी नारायण आदि धारा 307,504,506,188,269,270 भा0द0रां0 थाना परसपुर जनपद गोंडडा से सम्बन्धित पंजिका है।

### 29-बयान शुल्क पंजिका परिपत्र संख्या-91

यह पंजिका साक्षियों के बयान से सम्बन्धित पंजिका है। पंजिका की प्रारम्भिक तिथि 01.04.2011 से अनुरक्षित है। इससे पूर्व यह न्यायालय रिक्त थी, इसलिए बयान का अंकित होना नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त सभी पंजिकाएं सादे कागज पर लाइन खींचकर बनाई गयी हैं। सभी पंजिकाओं पर लेविल एवं हेडिंग लगे हैं। सभी पंजिकाएं अद्यावधिकपूर्ण पाई गयीं। कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि किराी भी प्रकृति की कोई भी पत्रावली सम्बन्धित पंजिका में दर्ज होने के लिये अवशेष नहीं है। सभी पंजिकाएं सुरक्षित रूप से हैं। न्यायालय द्वारा निर्णीत पत्रावलियों को नियमानुसार पंजिका में खारिज किया गया है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि न्यायालय द्वारा निर्णीत की गयी पत्रावलियों का परिणाम पंजिका में कालम अनुसार अवश्य अंकित कर दिया करें।

### 30-अर्थदण्ड पंजिका अध्याय-IX-02 नियम-02 नियम 74 व 85

यह पंजिका सादे कागज पर लाईन खींचकर बनाई गयी है। पंजिका में लेविल व हेडिंग नहीं लगा है। इस पंजिका का रख-रखाव कार्यालय लिपिक द्वारा किया जाता है। यह पंजिका 01.07.2020 से बनाई गयी है। पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि अर्थदण्ड की बकाया धनराशि प्रत्येक माह लाल स्याही से उतारी जाती है तथा माह में लगाये गये अर्थदण्ड को नीली स्याही से अंकित किया जाता है

समीक्षित,  
न्यायालय बंधनित  
रूप से अनुबालन  
सुनिश्चित कर लिया गया  
17वें दिनांक 17/11/20  
AS/ADG/10/11/20



व शासनानुसार चर्या किया जाता है, जो सम्बन्धित मुंशरिम/रीडर द्वारा नियमानुसार चर्या करके सूची बद्ध किया गया है।

**4. चतुर्थ गार्ड फाइल:-**

उक्त गार्ड फाइल पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अनुरक्षित किये जाने से सम्बन्धित है एवं उनके द्वारा किये गये वैधानिक निर्देशानुसार टिप्पणी को सूची बद्ध करके अनुरक्षित किया गया है। इस गार्ड फाइल में भी लेबिल व हेडिंग चर्या है। गार्ड फाइल में कुछ प्रपत्र मुड़े हुए रखे गये हैं, जिसे चर्या किया जाना अवशेष है। अतः मुंशरिम रीडर को निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्रों/आदेशों को अविलम्ब चर्या किया जाना सुनिश्चित करें।

**5. प्रस्तुतकर्ता की डायरी:-**

निरीक्षण के दौरान प्रस्तुतकर्ता की डायरी का अवलोकन किया गया। पंजिका पर कवर नहीं चढ़ा है एवं लेबिल व हेडिंग नियमानुसार चर्या नहीं किया गया है। पंजिका में अंकित समस्त प्रविष्टियाँ हेडिंग के अनुसार नहीं की गई हैं। प्रस्तुतकर्ता द्वारा पंजिका में प्रविष्टियों के अनुसार अधिवक्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है। प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि यह पंजिका में प्रविष्टियों के अनुसार अधिवक्ता का नाम अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

**6. बयान शुल्क पंजिका:-**

यह पंजिका सादे कागज पर लाइन खींचकर प्रस्तुतकर्ता द्वारा दि०: 04.11.2011 से अनुरक्षित की गई है। पंजिका में कवर चढ़ाया गया है एवं लेबिल व हेडिंग चर्या नहीं किया गया है। इस त्रैमास में कोरोना महामारी के चलते न तो कोई बयान अंकित हुआ है न ही बयान शुल्क जमा किया गया है।

**7. न्याय शुल्क पंजिका प्रारूप सं०:103:-**

यह पंजिका सादे कागज पर लाइन खींचकर प्रस्तुतकर्ता द्वारा दि०:01.10.2018 से अनुरक्षित की गई है। पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि पंजिका में कवर चढ़ाया गया है, लेबिल हेडिंग चर्या किया गया है। पंजिका के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि प्रस्तुतकर्ता द्वारा दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक योग किया गया है। पंजिका को मेरे सम्बन्ध प्रत्येक कार्य दिवस को प्रस्तुत कर मेरे लघु हस्ताक्षर प्राप्त किये गये हैं। इस पंजिका में निरीक्षण की तिथि पर अन्तिम प्रविष्टि दिनांक: 28.09.2020 को सिविल अपील सं०-136/19 महाराजदीन प्रति छेदी में कम सं०-3 पर दिलाये जाने मुसन्ना दर्ज किया गया है।

**8-प्रपत्र संख्या 15 अध्याय 17 नियम 168 सामान्य नियम (दाण्डिक)**

यह पंजिका सत्र वाद से सम्बन्धित पंजिका है, जो दिनांक 03.08.2018 से प्रारम्भ है। पंजिका में पेशानी व लेबिल तथा आमुख/शीर्षक चर्या किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 05.09.2020 है, जिसमें सत्र परीक्षण सं०-227/13 राज्य प्रति पवन कुमार उर्फ गुड्डू अंकित है। पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है। अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-15 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

पेशानी की, वादस्थिक एवं शीर्षक रूप से अंशकृत किया जाना अवशेष है।

पेशानी की, वादस्थिक एवं शीर्षक रूप से अंशकृत किया जाना अवशेष है।

पेशानी की, वादस्थिक एवं शीर्षक रूप से अंशकृत किया जाना अवशेष है।

8

9-पंजिका परिपत्र सं०-14 अध्याय 17 नियम 167

यह पंजिका फोजवारी निगरानी से सम्बन्धित पंजिका है, जो दिनांक 03.08.2018 से प्रारम्भ है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 09.09.2019 की है, जिसमें किमिनल रिपोर्ट सं०-101/2019 पवन कुमार बनाम अजित कुमार अंकित है। पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है। अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-14 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

10-पंजिका प्रपत्र सं०-13 अन्तर्गत अध्याय 17 नियम 166

यह पंजिका किमिनल अपील से सम्बन्धित पंजिका है, जो दिनांक 03.08.2018 से प्रारम्भ है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 12.12.2018 की है, जिसमें किमिनल अपील सं०-50/2018 महबूद खां उर्फ मोदे खां बनाम सरकार उदार प्रदेश अंकित है। पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है। अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-13 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

11- पंजिका प्रपत्र संख्या 09 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 9क के अन्तर्गत

यह पंजिका सिविल अपील से सम्बन्धित पंजिका है, जो दिनांक 03.08.2018 से प्रारम्भ है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 25.10.2019 की है, जिसमें सिविल अपील सं०-10/2016 राजेन्द्र प्रसाद बनाम रामबिहारी अंकित है। पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है। अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-09 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

12- पंजिका नं०-6 परिपत्र संख्या-02(8) बी सी आर 23

यह पंजिका सिविल रिक्विजिट से सम्बन्धित पंजिका है, जो दिनांक 03.08.2018 से प्रारम्भ है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 07.02.2019 की है, जिसमें सिविल रिक्विजिट सं०-10/2016 राजेन्द्र प्रसाद बनाम रामबिहारी अंकित है। पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है। अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-05 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

13- पंजिका फार्म नं०-81 एम०सी०ए०(चेप्टर xiv नियम 402) मुतफरिका

अपील दीवानी  
यह पंजिका मिशलेनिएस सिविल अपील से सम्बन्धित है, जो दिनांक 03.08.2018 से प्रारम्भ है। पंजिका में पेशानी व लेविल तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 07.02.2019 की है, जिसमें सिविल अपील सं०-10/2016 राजेन्द्र प्रसाद बनाम रामबिहारी अंकित है। पंजिका में पेशानी स्तमानुसार की गयी है। अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

14- पंजिका प्रपत्र सं०-68 अध्याय 14 नियम 400

यह पंजिका सामान्य निष्पादन वाद से सम्बन्धित पंजिका है। पंजिका की

पेशानी,  
वलेविल व शीर्षक चरपा  
किया गया है।  
पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 09.09.2019 की है।  
पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है।  
अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-14 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।  
ASJ/ARSG/AR/18/5

पेशानी,  
वलेविल व शीर्षक चरपा  
किया गया है।  
पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 12.12.2018 की है।  
पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है।  
अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-13 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।  
ASJ/ARSG/AR/18/5

पेशानी,  
वलेविल व शीर्षक चरपा  
किया गया है।  
पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 25.10.2019 की है।  
पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है।  
अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-09 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।  
ASJ/ARSG/AR/18/5

पेशानी,  
वलेविल व शीर्षक चरपा  
किया गया है।  
पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 07.02.2019 की है।  
पंजिका में पेशानी स्तमानुसार नहीं की गयी है।  
अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रारूप सं०-05 में पेशानी स्तमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।  
ASJ/ARSG/AR/18/5



मांगपत्र पंजिका प्रपत्र सं०-24

यह पंजिका अध्याय-8 नियम 211 सामान्य नियम व्यवहार के अन्तर्गत दिनांक 02.11.1999 से निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित की गयी है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि माह सितम्बर 2020 है। इस पर लेवल व हेडिंग लगाया गया है। पंजिका की सभी प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार की गयी हैं। पंजिका की प्रविष्टियाँ के अनुसार सभी मांगपत्रों का अनुपालन किया गया है। सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त कोई भी मांगपत्र अनुपालन हेतु लम्बित नहीं है।

कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि प्रतिलिपि अनुभाग का कोई प्रार्थनापत्र अनुपालन हेतु लम्बित नहीं है।

प्रश्नावली संख्या-17

निरीक्षण के दौरान मुंसरिम/रीडर द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में सामान्य नियम व्यवहार एवं सामान्य नियम दार्ष्टिक में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को निहित कर लिया जाता है, फिर भी उक्त पुस्तकों हेतु मांगपत्र प्रेषित किये जाने हेतु मुंसरिम/रीडर को निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रश्नावली संख्या-18

इस न्यायालय में ऐसा कोई वाद/इजराय लम्बित नहीं है, जिसमें किसी कुर्कशुदा को अवमुक्त किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

प्रश्नावली संख्या-19

इस न्यायालय में निष्पादन वाद लम्बित नहीं है।

प्रश्नावली संख्या-20ए

इस न्यायालय में ज्यादा अवधि से निष्पादन वाद लम्बित नहीं है।

प्रश्नावली संख्या-20बी

यह सुनिश्चित करने हेतु कि इजराय वादों को पंजिका में अंकित किया गया है अथवा नहीं? के सम्बन्ध में न्यायालय में अनुरक्षित पंजिका प्रपत्र सं०-68 का अद्यतन किया गया। पंजिका प्रपत्र संख्या-68 अध्याय 14 नियम 400 से सम्बन्धित इजराय वादों की पंजिका दिनांक 03.08.2018 से अनुरक्षित है, जिस पर लेवल तथा अमुख्य शीर्षक लगाया गया है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि माह सितम्बर 2020 है। पंजिका में पेशानी स्तम्भानुसार की गयी है।

प्रश्नावली संख्या-20सी

सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि अन्य न्यायालय से निष्पादन हेतु इस न्यायालय में अन्तरण द्वारा कोई भी डिक्ली इस त्रैमास में प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्नावली संख्या-20डी

निरीक्षण के दौरान सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि इस त्रैमास में कोई विक्रय प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

प्रश्नावली संख्या-20ई

इससे सम्बन्धित टिप्पणी प्रश्नावली संख्या-20 डी में दी जा चुकी है, 3 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

इस न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या देखते हुये कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है।

**प्रश्नावली संख्या-03ए :-**

इस न्यायालय में दिनांक 01.09.2019 को लम्बित व दिनांक 01.09.2020 को लम्बित समस्त प्रकार के वादों का विवरण प्रोफार्मा संख्या-02 पर पृथक से निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न है।

**प्रश्नावली संख्या-03बी**

इस न्यायालय में लम्बित समस्त प्रकार के 10-10 प्राचीनतम वादों का विवरण प्रोफार्मा संख्या-02 पर पृथक से निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न है।

**प्रश्नावली संख्या-03सी**

इस न्यायालय में दिनांक 01.09.2019 को लम्बित व दिनांक 01.09.2020 को लम्बित समस्त प्रकार के वादों का तुलनात्मक विवरण प्रोफार्मा संख्या-02 पर पृथक से निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न है।

**प्रश्नावली संख्या-04**

यह बिन्दु इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली संख्या-05**

यह बिन्दु इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली संख्या-06**

यह बिन्दु इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली संख्या-07**

निरीक्षण के दौरान मुंशीरम/रीडर द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में लम्बित वादों से सम्बन्धित मूल अभिलेखों को सील्ड कार में सुरक्षित रखा जाता है। सावधानी के तौर पर मुंशीरम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे सभी अभिलेखों को आलमारियों में सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करें।

**प्रश्नावली संख्या-08**

यह बिन्दु इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली संख्या-09**

निरीक्षण के दौरान सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि सम्मन/नोटिस आदि की जो आदेशिकायें जनपद न्यायालय गोण्डा के नजारत अनुभाग, गोण्डा को भेजी जाती हैं, तामीला के पश्चात् न्यायालय को समय से प्राप्त हो जाता है, जिससे पत्रावली में संलग्न कर दिया जाता है। इस सन्दर्भ में सत्र लिपिक को सावधानी के तौर पर निर्देशित किया जाता है कि इस बात का ध्यान रखें कि यदि किसी मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकायें समय से वापस प्राप्त नहीं होती हैं, तो उसके सम्बन्ध में नजारत अनुभाग को स्मृति-पत्र भेजा जाना सुनिश्चित करें।

**प्रश्नावली संख्या-10**

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा स्थगित एवं भेजे गये मूल पत्रावलियों की सूची प्रोफार्मा संख्या-03 पर तैयार कर निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न है। विगत तीन महीनों में कोई भी इन्क्वायरी से सम्बन्धित कोई प्रकरण

श्रीमान जी,

वास्तविक व प्रामाणिक

रूप से न्यायालय

के सुनिश्चित किया गया है।

(यह न्यायालय पर)

ASJ/ASJ Court-5

श्रीमान जी

वास्तविक व प्रामाणिक

रूप से न्यायालय

के सुनिश्चित किया गया है।

(यह न्यायालय पर)

ASJ/ASJ Court-5

श्रीमान जी

वास्तविक व प्रामाणिक

रूप से न्यायालय

के सुनिश्चित किया गया है।

(यह न्यायालय पर)

ASJ/ASJ Court-5

इस न्यायालय में प्रकारा में नहीं आया। फिर भी सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में भी सचेत रहे।

**प्रश्नावली संख्या-11**

निरीक्षण के दौरान सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि समस्त प्रकार के निर्णीत वादों की पत्रावलिओं को समय से अभिलेखागार में दाखिल कर दिया जाता है एवं सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि कोई भी निर्णीत पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल करना शेष नहीं है।

**प्रश्नावली संख्या-12**

सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय से सम्बन्धित विगत सभी मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक विवरणी प्रशासनिक कार्यालय को सहाय्य प्रेषित किये गये हैं। फिर भी सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि समय से विवरणी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण  
न्यायालय के  
सत्र लिपिक  
को निर्देशित  
किया गया  
रहा है।  
AB  
(सत्र लिपिक)  
ASS/ADS Court  
No-5

**प्रश्नावली संख्या-13**

सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि इस त्रैमास में जो निरीक्षण प्रार्थना-पत्र व पुख्ताछ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका पुलनात्मक विवरण निरीक्षण आख्या के साथ प्रोफार्मा-4 के रूप में संलग्न है, जिसमें कमी आयी यह कमी कोरौनो महामारी के कारण मात्र अर्जेन्ट न्यायिक कार्य होने के कारण आयी है।

**प्रश्नावली संख्या-14**

सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि इस त्रैमास में रिकार्ड रूम से किसी भी पत्रावली को दुरुस्तो हेतु वापस प्राप्त नहीं कराया गया है।

**प्रश्नावली संख्या-15**

यह बिन्दु इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय में इस त्रैमास में कोई भी पुनर्भूगतान प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही पूर्व से लम्बित है।

**प्रश्नावली संख्या-16-**

निरीक्षण के दौरान सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई भी मांग-पत्र प्राप्त होते ही उसका अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाता है और वर्तमान समय में कोई भी मांग-पत्र का अनुपालन इस न्यायालय में लम्बित नहीं है। फिर भी सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई भी मांगपत्र भविष्य में लम्बित न हो।

निरीक्षण  
न्यायालय के  
सत्र लिपिक  
को निर्देशित  
किया गया  
रहा है।  
AB  
(सत्र लिपिक)  
ASS/ADS Court No-5

**मांग-पत्र पंजिका प्रपत्र सं०-5**

यह पंजिका अध्याय 13 नियम 130 एवं 132 के अन्तर्गत दिनांक 01.03.2005 से छपे फार्म पर अनुरक्षित की गयी है, जिसकी अन्तिम प्रविष्टि माह अक्टूबर 2019 है। पंजिका के अवलोकन से पाया गया कि अधिकांशतः अभिलेख विलम्ब से मेजा जाना अंकित है। सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अभियाचन पत्रों का अनुपालन भविष्य में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण  
न्यायालय के  
सत्र लिपिक  
को निर्देशित  
किया गया  
रहा है।  
AB  
(सत्र लिपिक)  
ASS/ADS Court No-5

AB

### त्रैमासिक निरीक्षण रिपोर्ट

बावत त्रैमास माह सितम्बर-2020,  
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्षा सं०-5, मोरवा  
अंकित द्वारा श्री रमदीर सिंह, पीठासीन अधिकारी

मैने न्यायालय/कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण माह सितम्बर 2020 दिनांक  
28.09.2020 व 29.09.2020 को आभा-अथा दिवस में सम्पन्न किया।

इसके पूर्व इस न्यायालय/कार्यालय का त्रैमास माह सितम्बर 2019 को  
समाप्त होने वाले त्रैमास का त्रैमासिक निरीक्षण मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वा  
रा दिनांक-23.12.2019 को किया गया था। उक्त निरीक्षण आख्या में दर्शित  
त्रुटियों का अनुपालन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किये जाने में  
उपरान्त प्रशासनिक कार्यालय को प्रेषित किया गया, जो बाद अनुपालन इस  
कार्यालय को प्राप्त हो चुका है।

माननीय उक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार निरीक्षण आख्या  
निम्नवत् है:-

#### प्रश्नावली संख्या-1

यह न्यायालय पूर्व में रिक्त रही है। इस न्यायालय का दिनांक 07.08.2020 से  
कार्य करना प्रारम्भ हुआ है।

#### प्रश्नावली संख्या-1ए

इस न्यायालय में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा तथा पीठासीन  
अधिकारी द्वारा माननीय उक्त न्यायालय द्वारा निर्भाषित निरीक्षण रिपोर्टों व आदेशों  
से सम्बन्धित माई फाइलों के परिशीलन से विदित होता है कि उसमें अनुरक्षित सभी  
प्रपत्र अपने-अपने यथोचित स्थान पर सुचीबद्ध करके चरप्पा किये गये हैं।

#### प्रश्नावली संख्या-1बी

पूर्व में यह न्यायालय रिक्त होने के कारण किसी रिपोर्टों की आवश्यकता  
नहीं है।

#### प्रश्नावली संख्या-01 सी

कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि इन्सपेक्टर आफ स्टैम्प की कोई  
रिपोर्ट इस त्रैमास में अनुपालन हेतु प्राप्त नहीं हुई है और न ही पूर्व की कोई  
रिपोर्टों का अनुपालन किया जाना अवरोध ही है।।

#### प्रश्नावली संख्या-02

इस न्यायालय/कार्यालय में निरीक्षण की तिथि पर निम्नलिखित कर्मचारीगण  
अपने-अपने यथोचित स्थान पर कार्यरत पाये गये:-

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	न्यायालय में नियुक्ति की तिथि
01	श्री दिलीप कुमार	नुसरिम/रीडर	19.08.2020
02	श्री प्रदीप कुमार सिंह	आशुलिपिक	19.08.2020
03	श्री अजीत कुमार मौर्या	सत्र लिपिक	11.12.2019
04	श्री मो० सईद	अर्दली	14.08.2020
05	श्री शत्रुहन	कार्यालय चपरासी	14.08.2020

8

न्यायालय अपर जनपद एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-5,  
गोण्डा।

**त्रैमासिक निरीक्षण माह सितम्बर- 2020**

निरीक्षण अधिकारी का नाम-श्री रनवीर सिंह

निरीक्षण की तिथि-28./29.09.2020